दिनांक 05.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 243/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर तथा लखनऊ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 05.05.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर तथा लखनऊ इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन सहारनपुर इकाई द्वारा श्री विनय कुमार छाबडा निवासी पवन बिहार गली नम्बर-2 निकट राठी डेरी जैन डिग्री कॉलेज रोड़ से नवनिर्मित मकान की सील हटाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री मुकेन्द्र कुमार के नेतृत्व में अरोडा होम्योपैथिक स्टोर, निकट आईएमए भवन, सदर तिराहे के पास से **अवर अभियन्ता आशीष सक्सेना (कार्यालय विकास प्राधिकरण सहारनपुर)** पुत्र स्व0 कृष्ण चन्द्र सक्सेना निवासी मीरापुर डीएवी कॉलेज थाना अतर सुईया प्रयागराज, हालपता गुरूद्वारारोड़ पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सामने थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को **20 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ इकाई द्वारा श्री इन्दल सिंह निवासी चन्दौख थाना नागलसोनी जनपद बिजनौर से स्थानान्तरण/नियुक्ति स्थान परिवर्तन के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री अरूणेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में वियर की दुकान के सामने निकट अम्बेडकरनगर तिराहा लखीमपुर खीरी से **कनिष्ठ सहायक प्रभागीय वन अधिकारी उत्तर खीरी विक्रान्त सिंह नेगी (उपनिदेशक बफर जोन दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी)** पुत्र स्व0 प्रताप सिंह नेगी निवासी फारेस्ट कॉलोनी डीसी रोड लखीमपुर खीरी, स्थाईपता ग्राम लाल डाट थाना हल्द्वानी उत्तराखण्ड को **12 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 05.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 244/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद श्रावस्ती/थाना इकौना

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 05.05.2026 को थाना इकौना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरयू नहर बैराज सेमगढ़ा के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त संजय उर्फ संजू उर्फ लंबू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पीली–सफेद धातु के आभूषण, नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद श्रावस्ती, सीतापुर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 31 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना इकौना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इकौना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय उर्फ संजू उर्फ लंबू निवासी औरी शाहपुर थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–नगद रूपये।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शामली/थाना कांधला

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 05.05.2026 को थाना कांधला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कांधला–भभीसा मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोहित उर्फ शंकर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कांधला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कांधला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहित उर्फ शंकर निवासी गडरियान थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 32 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 05.05.2026 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गायत्री वाटिका, नहर पटरी के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शाहरूख घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बुढाना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शाहरूख निवासी चन्धेडी रोड कस्बा व थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये सफेद धातु (400 ग्राम) के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 05.05.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दधेडू रजवाहा की पटरी के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शिवम उर्फ मोटा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटे गये सफेद धातु (400 ग्राम) के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवम उर्फ मोटा निवासी चन्द्रपाल खेडी कॉलोनी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लूटे गये सफेद धातु (400 ग्राम) के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद सम्भल/थाना बहजोई

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल ब्रिकी के 02 लाख 52 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के 215 किलोग्राम बिजली डांग कण्डक्टर (लाइन तार)**
- **02 कार**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 05.05.2026 को थाना बहजोई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बिसारू और राजपुर के बीच गंगा एक्सप्रेस वे के नीचे बनी पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–जमशेद आलम 2–शाहिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल ब्रिकी के 02 लाख 52 हजार रूपये नगद, चोरी के 215 किलोग्राम बिजली डांग कण्डक्टर (लाइन तार), 02 कार, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बहजोई क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहजोई पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, लाइन तार आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बहजोई पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जमशेद आलम निवासी मसीद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर, हालपता–संगम विहार थाना तिमारपुर नई दिल्ली।

2–शाहिल निवासी सी ब्लाक जहांगीरपुरी थाना जहांगीरपुरी नई दिल्ली।

बरामदगी

1–चोरी के माल ब्रिकी के 02 लाख 52 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के 215 किलोग्राम बिजली डांग कण्डक्टर (लाइन तार)।

3–02 कार।

4–02 मोबाइल फोन।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–24

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 04.05.2026 को थाना सेक्टर–24 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टी ब्लॉक सेक्टर 11 नोएडा से 02 अभियुक्तों 1–अनीकेत उर्फ अंकित 2–रतन उर्फ रवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अनीकेत उर्फ अंकित के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त रतन उर्फ रवि के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–24 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनीकेत उर्फ अंकित निवासी दीपक विहार, खोड़ा कालोनी , थाना खोड़ा, गाजियाबाद।

2–रतन उर्फ रवि निवासी सरस्वती विहार, खोड़ा कालोनी , थाना खोड़ा, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 12 दो पहिया वाहन आदि।

➢ **जनपद मीरजापुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 04 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद मीरजापुर पुलिस ने अभियुक्त 1–राकेश कुमार सरोज पुत्र सुभाषचन्द्र सरोज निवासी ग्राम मलई की बारी तरकापुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर 2–बब्लू भारती पुत्र कैलाशनाथ भारती निवासी हनुमान पड़रा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 04 करोड़ रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **<u>जनपद आजमगढ़/थाना मेहनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 03–03 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेहनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/364ए/201/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–वतन सिंह 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 03–03 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना सुल्तानपुर घोष (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना सुल्तानपुर घोष पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बृजेश 2–सुमेर को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मीरजापुर/थाना चुनार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 26–26 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मीरजापुर द्वारा थाना चुनार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रतीक 2–हिमांशु उर्फ पांचू को सश्रम आजीवन कारावास व 26–26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना दुबहड़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना दुबहड़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बलजीत उर्फ अजय को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 85 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अरनिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/364ए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जयनेश को आजीवन कारावास व 85 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना हाफिजपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हाफिजपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/342/452/506 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आमिर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————